कार्यालय

जिला उद्योग केन्द्र,

जे0पी0 नगर।

विभागीय विवरण

अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृति	कार्यरत
1.	महाप्रबन्धक	01	01
2.	प्रबन्धक	02	02
3.	सहायक प्रबन्धक	04	02
4.	अन्वेषक–कम–संगणक	01	01
5.	आशुलिपिक	01	01
6.	वरिष्ठ लिपिक	01	01
7.	कनिष्ठ लिपिक	02	02
8.	अनुचर	02	02

क0सं0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	मोबाइल न0(सी0यू0जी0 एंव व्यक्तिगत	कार्यालय पी0एन0 टी0
1	श्रीमति कल्पना	महाप्रबन्धक	9415344911	252200,252029
2	श्री एन0के0 सिंह	प्रबन्धक		—
3	श्री अनुज कुमार	प्रबन्धक	9456688500	—
4	श्री के0के0 सिंह	सहा0 प्रबन्धक	9319747816	—
5	श्री आर0ए0 सिद्दकी	आशुलिपिक	9319110313	—
6	श्री उमेश चन्द्र वर्मा	अन्वेषक—कम—संगणक	9410012972	—
7	श्री दयाचन्द	व0सहायक	9411885962	—
8	श्री ए0के0 दिवाकर	क0 सहायक	9927615049	—
9	श्री सुमेर सिंह	क0 सहायक	9837046315	—
10	श्री दिनेश कुमार	अनुचर	9219440739	—
11	श्री सन्तन सिंह	अनुचर	9411948347	—
12	श्री विनोद कुमार	अनुचर	—	—
13	श्रीमति सुनीता,मृ0आ0	अनुचर	—	—

–:विभिन्न योजनाओं का विवरण :–

1– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 31–3–08 तक लागू थी,को समायोजित करते हुए नई योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना(पी0एम0ई0जी0पी0) प्रारम्भ की गई है।केन्द्रीय सेक्टर की इस योजना के लिए खादी एवं विलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन (के0वी0आई0सी0) को राष्ट्रीय स्तर पर नोड़ल एजेंसी बनाया गया है। प्रदेश स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन के0वी0आई0सी0/के0बी0आई0बी0/डी0आई0सी0 एवं बैंको द्वारा किया जायेगा।

योजना का उद्देश्यः–

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना तथा रोजगार के नये अवसर प्रदान करना।

2 .हस्तशिल्पियों,शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवको/युवतियों के लिए रोजगार के अवसर उन्हीं के क्षेत्रो में उपलब्ध कराना।

3. हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों की आय में वृद्वि तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षत्रों में परस्पर रोजगार बढ़ावा देना।

पात्रतायेंः–

1. सभी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

2. इस योजनान्तर्गत आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

3. उद्योग क्षेत्र के लिए 10.00 लाख से अधिक के प्रोजेक्ट होने पर लाभार्थी को कम से कम 8 वी पास होना आवश्यक है।

4. इस योजना का लाभ केवल नई लगने वाली इकाईयों को मिलेगा।

वित्तीय सहायताः–

1.इस योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र के लिए 25.00 लाख तक के प्रोजेक्ट सम्मिलित किये जायेगें।

2. व्यवसाय सेवा के लिए प्रोजेक्ट की अंतिम सीमा 10.00 लाख है।

3. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों के लिए का अंश एवं उपादान निम्न है।

2.सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टैक्नोलाजी अपग्रेडेशन) योजना

उद्देश्य :– आर्थिक वैश्वीकरण एवं विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के नए वातावरण में सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों को आधुनिकतम तकनीक के आयात/क्रय एवं गुणवत्ता में वृद्धि तथा उत्पादकता में सुधार।

पात्रताः– इस योजना के अन्तर्गत सुविधाएं उन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, जिनके द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अधीन ज्ञापन(इण्टर प्रन्योर्व मेमोरण्डम) दाखिल कियें हों,को प्रदान की जायेगी।

सुविधाएंः– (क) सूक्ष्म, लघु के तकनीकी खरीद और आयात,मान्यता प्राप्त /सक्षम संस्थानों ,सरकारी संस्थाओं एवं शोध केन्द्रो से प्राप्त करने में व्यय धनराशि का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 2 लाख तक देय होगा।

(ख) सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों की उत्पादन वृद्धि एवं गुणवत्ता सुधार हेतु अतिरिक्त मशीन क्रय आदि की व्यवस्था हेतु 50 प्रतिशत पूँजी उपादान अधिकतम 2.00 लाख तक देय होगा।

(ग) प्रस्तर (क) के अन्तर्गत क्रय की गई मशीनों एवं उपकरणों पर वित्तीय निगम या बैकों से ऋण लिये जाने की दशा में वित्तीय संस्थायों को देय ब्याज पर ब्याज उपादान 5 प्रतिशत वार्षिक अधिकतम रू0 50000/– देय होगा।

(घ) आई0एस0आई0/आई0एस0ओ0 श्रेणी के मानकीकरण प्राप्त करने में आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 2.00 लाख उपादान देय होगा।

(ड) उत्पादकता कौशल/बाजार एवं तकनीकी अध्ययन हेतु मान्यता प्राप्त संस्था से परामर्श करने पर व्यय का 90 प्रतिशत अधिकतम 50000/– अनुदान देय होगा।

3.उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस कार्यालय द्वारा एक दिवसीय,दो दिवसीय व चार सप्ताहिक उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। जिसके अन्तर्गत अभ्यर्थीयों को विभिन्न उद्यागों एवं उद्योग स्थापना हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी दी जाती है।

एम0डी0ए0

फ्रेट योजना :– प्रदेश के निर्यातकों को अपने उत्पादित माल के निर्यात हेतु इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो तथा कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से भेजे लाने वाले माल पर भाड़े की प्रतिपूर्ति हेतु एक्सपोर्ट फ्रेट प्रतिपूर्ति याजनान्तर्गत प्रदेश के निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2007–08 से उक्त शासनादेश के प्राविधानों में कतिपय संशोधनों के उपरान्त त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजनान्तर्गत गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्रेणी के समस्त औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित माल को निर्यात हेतु इनलेण्ड कंटेनर डिपो /कंटेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से गेट वे पोर्ट तक भेजे जाने पर भाड़े में किये गये व्यय के 50 प्रतिशत की दर से भाड़े की प्रतिपूर्ति प्रदान किया जायेगा जिसकी प्रति निर्यातक प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा रू0 10.00 लाख तक होगी।

अन्तराष्ट्रीय स्तर पर निर्यातको के लिए विपणन सहायता योजना

1. विदेशी व्यापार में/प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु अनुदान।	स्थल किराये का 60 प्रतिशत। वायुवान किराये का 50 प्रतिशत।	अधिकतम सीमा रू01.00 लाख प्रति निर्यातक। केवल एक व्यक्ति के लिए अधिकतम सीमा रू0 50,000/– प्रति निर्यातक।
2. निर्यात उत्पाद के प्रचार प्रसार के लिए।	कुल व्यय का 60 प्रतिशत।	अधिकतम सीमा रू0 60,000/– प्रति निर्यातक।
3. विदेशी क्रेता नमूने भेजने हेतु।	वायुयान अथवा कोरियर से नमूना भेजने पर कुल व्यय 75 प्रतिशत।	अधिकतम सीमा रू0 50,000/– प्रति वर्ष।
4. गुणवत्ता नियत्रण हेतु आई0एस0ओ0 9000 बी0आई0एस0 14000 श्रेणी ऊनी वस्त्रो के लिए वूलमार्क, स्वर्ण आभूषण के लिए हालमार्क, फूड सेप्टी के लिए एच0ए0सी0सी0पी0 एवं विद्युत उपकरणों के लिए सी0 मार्क आदि प्राप्त करने हेतु।	कुल व्यय का 50 प्रतिशत।	अधिकतम सीमा रू0 75,000/– प्रति वर्ष।

स्टार कैटगरी

प्रदेश के अच्छे उद्योगों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के ऐसे उद्योगों जिन्होंने प्रस्तर–2 में उल्लिखित तालिकानुसार पूंजीनिवेश किया हो या निर्यात किया हो तथा जो निम्न शर्तो को पूर्ण करती हो को **स्टार उद्योग** कहा जाए और इन उद्योगों को उनकी उपलब्धि के आधार पर एक से सात स्टार कैटगरी प्रदान की जाए।

स्टार कैटगरी प्रदान किये जाने हेतु शर्तेः–

1. पिछले तीन वर्षो से लगातार लाभ प्राप्त किया हो।
2. इकाई पर किसी वित्तीय संस्था का बकाया न हो।
3. इकाई के ऊपर कोई शासकीय देय,विद्युत परिषद के देयों को सम्मिलित करते हुए शेष न हो।
4. निर्यात मूलक इकाई के लिए निर्धारित पूंजी निवेश के विरूद्व निर्धारित निर्यात किया गया हो।

स्टार कैटगरी का वर्गीकरण :–

स्टार वर्गीकरण	ऋण	पूंजी निवेश	निर्यात
*	05.00 लाख	10.00 लाख	1.00 करोड़
**	20.00 लाख	30.00 लाख	3.00 करोड़
***	01.00 करोड़	02.00 करोड़	5.00 करोड
****	10.00 करोड	20.00 करोड़	20.00 करोड
*****	50.00 करोड	100.00 करोड़	50.00 करोड
******	100.00 करोड	200.00 करोड़	100.00 करोड
*******	250.00 करोड	500.00 करोड़	200.00 करोड

स्टार कैटगरी के उद्योगों को निम्न सुविधाए दी जायेगीः—

(1) स्टार कैटगरी की उच्चतम चार श्रेणी की इकाईयों को विद्युत विभाग के पीक आवर्स प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जायेगा।

(2) स्टार कैटगरी इकाईयों को अतिरिक्त विद्युत भार प्राथिमिकता के आधार पर स्वीकृति किया जायेगा।

(3) स्टार कैटगरी प्रमाण पत्र प्राप्त उद्योगों को यू0पी0एस0आई0डी0सी0 व उद्योग निदेशक द्वारा विकसित औद्योगिक भूखण्डों / शेडों के आंबटन में वरीयता दी जायेगी।

(4) स्टार कैटगरी प्रमाण पत्र प्राप्त उद्योगों को पिकप व उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा अतिरिक्त ऋण स्वीकृति किये जाने में वरीयता दी जायेगी।

(5) स्टार कैटगरी प्रमाण पत्र प्राप्त ऐसे उद्योगों जिनके विरूद्व कर अपवंचन का कोई प्रमाण न हो, द्वारा बिक्री कर फार्म में घोषित सम्पूर्ण विक्रय धन बिक्रीकर विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा किन्तु ऐसे उद्योगों द्वारा बिक्री के नक्शों में मांगी गई छूट के प्रमाण में फार्म या प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। जांच में फार्म तथा प्रमाण पत्र नियमानुसार सही पाये जाने पर नक्शों में घोषित बिक्री को स्वीकार कर लिया जायेगा। ऐसे उद्योगों के अभिलेखों की जांच 5 वर्ष में एक बार रेण्डम आधार पर की जायेगी।

—:मेमोरण्डम ज्ञापन से संबंधित विवरणः—

केन्द्रीय सरकार सूक्ष्म,लघु और मध्यम विकास अधिनियम,2006 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,महा प्रबन्धक,जिला उद्योग केन्द्र को अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमों का कार्य करने वाले विभाग या निदेशालय में समतुल्य पंक्ति के जिला स्तरीय अधिकारी को,उस प्रधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके पास,ऐसे व्यक्ति जो माल के विनिर्माण या उत्पादन करने में लगे सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम की स्थापना करने का आशय रखता है या जिन्होनें पहले ही स्थापना कर ली है,ज्ञापन फाइल किया जाएगा। उत्पादन क्षेत्र के अन्तर्गत रू0 5 करोड़ तक का ज्ञापन कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र में फाइल किया जायेगा तथा पावती जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किया जायेगग एवं इसकी आनलाइन इट्री कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र द्वारा की जायेगी।

i/kkueU=h jkstxkj ;kstukUrxZr ekfld izxfr lwpuk c"kZ 2007&2008

/kujkf'k ¼yk[k :0 esa½

d'ekad	tuin dk uke	y{;	izkIr izkFkuk i=ksa dh la[;k	cSadks dks izsf"kr vkosnu i=	cSadks }kjk Lohd`r		izf'kf{kr vH;fFk;ksa dh la[;k	cSadks }kjk forfjr		forj.k dk lkis{k jkstxkj l`tu	Yk{; dk lkis{k miyfc/k dk izfr"kr
					la[;k	/kujkf'k		la[;k	/kujkf'k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1-	tS0ih0uxj	413	980	951	472	585-00	468	442	364-00	1045	107